संचिका संख्या– म0 / यो० PMMSY विविध पत्रा०–07 / 2025......159........, दिनांक 02.03.2

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग,
मत्स्य निदेशालय
:– सकारण तार्किक आदेश –:

CWJC No-11283/2016 (अजय कुमार सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–31.07.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में निदेशक मत्स्य के समक्ष याचिका कर्ता द्वारा दिनांक–02.09.2025 को दायर अभ्यावेदन के आलोक में दिनांक 23-02-2026 को की गयी सुनवाई से संबंधित सकारण तार्किक आदेश।

दिनांक– 23.02.2026
याचिकाकर्त्ता श्री अजय कुमार सिंह उपस्थित।
याचिकाकार्त्ता के अधिवक्ता श्री शेखर हर्षवर्द्धन उपस्थित

दिनांक–23.02.2026 को CWJC No-11283/2016_(अजय कुमार सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–31.07.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में निदेशक मत्स्य के समक्ष सुनवाई की गई। सुनवाई में याचिकाकर्त्ता श्री अजय कुमार सिंह तथा याचिकाकार्त्ता के अधिवक्ता श्री शेखर हर्षवर्द्धन उपस्थित रहे।

सुनवाई के क्रम में विभागीय पदाधिकारी द्वारा मामले की वस्तुस्थिति रखी गई जो निम्नवत हैं :–

- CWJC No-11283/2016 (अजय कुमार सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–31.07.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में निदेशक मत्स्य के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक–02.09.2025 को अभ्यावेदन दायर किया गया हैं।

- उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–31.07.2025 को पारित न्यायादेश में प्रतिवादी संख्या–3 (निदेशक मत्स्य, बिहार) को याचिकाकर्त्ता द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में सभी पक्षों को सुनते हुए छः महीने के भीतर सकारण तार्किक आदेश पारित किये जाने का निदेश दिया गया हैं।

- दिनांक–23.02.2026 को निदेशक मत्स्य के समक्ष हुई सुनवाई में याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता श्री शेखर हर्षवर्द्धन द्वारा निदेशक मत्स्य बिहार पटना के पत्रांक–34, दिनांक–08.01.2014 द्वारा मुख्य प्रबंधक देना बैंक बोरिंग रोड, पटना को प्रेषित पत्र, जिसमें वैसे मत्स्य कृषक जो 2012–13 में पंगेशियस मत्स्य पालन किया हो उनको वर्ष 2013–14 में अनुदान नहीं दिये जाने तथा भुगतेय राशि की वसूली से संबंधित निदेश दिया गया हैं, को रद्द करने का अनुरोध किया गया हैं। साथ ही याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार और एन.एफ.डी.बी. हैदराबाद द्वारा सरकारी

योजना के तहत मत्स्य पालन हेतु पैंगेशियस पालन योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण पर क्रमशः 10% और 40 % की सब्सिडी प्रदान करने का अनुरोध किया गया हैं। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी बैंक को निर्देश दिया जाए कि वह प्रतिवादी राज्य सरकार द्वारा जमा की जाने वाली 10 % सब्सिडी राशि पर कोई दंडात्मक ब्याज न लगाए।

•उप मत्स्य निदेशक (सां० एवं वि०)–सह–विधि प्रभारी मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि याचिकाकर्त्ता को वर्ष 2012–13 के लिए अनुदान को भुगतान किया जा चुका हैं। वर्ष 2013–14 के लिए उक्त मामले से संबंधित NFDB के स्वीकृत्यादेश संख्या – 5357/ NFDB/ IAP/ Pangus – Inputs / BH / 2011-12 दिनांक – 30.03.2012 में की चर्चा की गई। इसी क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि विभागीय राज्यादेश संख्या–84, दिनांक–08.01.2014 की कंडिका–3(ग) में अंकित है कि– *वित्तीय वर्ष 2012–13 में राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद तथा राज्य योजनान्तर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त हो चुका है, उन्हें चालू वित्तीय वर्ष में राज्य योजना से कोई अनुदान देय नहीं होगा।*

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पंगेशियस मत्स्य पालन की योजना का लाभ सिर्फ प्रथम वर्ष हेतु ही देय था।

उपस्थापित अभिलेखों, याचिकाकर्त्ता एवं उनके अधिवक्ता के तथ्यों को सुनने के बाद यह निर्णय लिया गया कि NFDB के स्वीकृत्यादेश संख्या – 5357/NFDB/ IAP/ Pangus – Inputs / BH / 2011-12, दिनांक – 30.03.2012 तथा विभागीय राज्यादेश संख्या–84, दिनांक – 08.01.2014 में अंकित तथ्यों के आलोक में श्री अजय कुमार सिंह एवं अन्य को द्वितीय वर्ष में अनुदान देय नही हैं, जिस कारण से उक्त वाद को खारिज किया जाता हैं।

2/3/26

निदेशक मत्स्य
बिहार,पटना।

ज्ञापांक :– म0/यो० PMMSY विविध पत्रा०–07/2025/359 मत्स्य पटना,दिनांक 02.03.2026

प्रतिलिपि :–
1. श्री अजय कुमार सिंह, पिता– स्व० राजेश्वर प्रसाद सिंह, ग्राम–नोखा, पोस्ट – नोखा, , प्रखंड – नोखा, जिला – रोहतास/ श्री विनोद चौधरी, पिता– स्व० गोरख चौधरी, ग्राम– माला विगहा, पोस्ट– तिलौथु, थाना– हुरखा, जिला रोहतास/ श्री मदन कुमार सिंह, पिता– स्व० तुलसी सिंह, ग्राम + पोस्ट +थाना –कोचस, जिला रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. श्री शेखर हर्षवर्द्धन अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय, पटना, ई–मेल – advshekhar@gmail.com मो० – 9308610077 को सूचनार्थ प्रेषित।
3. GP-12, पटना उच्च न्यायालय को CWJC No-11283/2016_(अजय कुमार सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–31.07.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

4. मुख्य प्रबंधक देना बैंक, बोरिंग रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. जिला मत्स्य पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. उप मत्स्य निदेशक, पटना परिक्षेत्र/उप मत्स्य निदेशक (रा०प०ई०/मु०/सां० एवं वि०)/अवर सचिव, मत्स्य निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. संयुक्त मत्स्य निदेशक, (रा०प०ई०/मुख्यालय),/उप सचिव, मत्स्य निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. अपर सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
9. आई० टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2/2/26

निदेशक मत्स्य
बिहार,पटना।